



राजस्थान सरकार

निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirmminority@gmail.com

दूरभाष नं.:0141-2711978, 2711938

क्रमांक :- एफ-2(9) अ.स.निदे./कन्या छात्रावास संचालन/2010-11/ 5340

जयपुर, दिनांक: 01/08/24

स्वीकृति आदेश

परिवर्तित बजट 2024-25 (10 जुलाई, 2024) के पैरा सं. 62 पर की गई घोषणा के अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित राजकीय एवं अनुदानित अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासरत छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास के मैस भत्ते की राशि रु. 2500/- प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा को बढ़ाकर राशि रु. 3000/- प्रतिमाह प्रति छात्र/छात्रा करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त बढ़ी हुई दरें दिनांक 01.08.2024, से लागू होगी तथा प्रति शैक्षणिक सत्र के लिए मैस भत्ते की राशि अधिकतम 9 माह 15 दिवस हेतु देय होगी। बढ़ी हुई दरों का मदवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मद	वर्तमान दरें (प्रतिमाह)	बढ़ी हुई दरें (प्रतिमाह)
1	भोजन, नाश्ता, विशेष भोजन, ईंधन	1830	2200
2	स्कूल यूनिफॉर्म मय सिलाई, (दो ड्रेसेज) जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी	250	300
3	सिर पर लगाने का तेल, नहाने एवं कपड़े धोने का साबुन, बाल कटाई आदि	100	120
4	चद्दर, तकिया, खोली एवं खेस आदि धुलाई	50	60
5	बिजली-पानी	200	240
6	समाचार-पत्र, पत्रिकाये आदि	20	25
7	छात्रावास की साफ-सफाई	50	55
योग		2500	3000

स्कूल यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, तौलिये एवं गर्म जर्सी हेतु दी जाने वाली राशि रु. 2850/- प्रति छात्र/छात्रा प्रति सत्र हेतु उनके आधार लिंकड बैंक खातों में DIRECT BENEFIT TRANSFER (DBT) scheme के तहत सीधे ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा हस्तांतरित की जायेगी। बढ़ी हुई राशि का उपयोग मदवार किया जायेगा। मद विशेष में बचत रहने पर उस मद राशि का उपयोग अन्य मदों में मैस समिति की बैठक में निर्णय लेकर किया जा सकेगा। परन्तु किसी भी हाल में व्यय प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह राशि रु. 3000/- एवं प्रति सत्र राशि रु. 28500/- से अधिक नहीं होगा।

उक्त स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं. 162401440 दिनांक 25.07.2024 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(नलिनी कठोतिया)
निदेशक

Signature valid

RajKaj Ref
9345295



Digitally signed by Nalini Kathotia
Designation: Director
Date: 2024.07.31 10:54:35 IST
Reason: Approved



क्रमांक :- एफ-2(9) अ.स.निदे./कन्या छात्रावास संचालन/2010-11/ 5341-54

जयपुर, दिनांक: 01/09/24

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, शासन सचिवालय जयपुर
3. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनकी आई.डी.सं. 162401440 दिनांक 25.07.2024 के अनुसरण में।
8. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. जिला कलेक्टर,.....(समस्त)।
10. कोषाधिकारी,.....(समस्त)।
11. मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय हाजा।
12. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग,.....(समस्त)।
13. सहायक प्रोग्रामर को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

(सुशील कुमार)
सहायक निदेशक (चतुर्थ)

RajKaj Ref
9345295

Signature valid

Digitally signed by Nalini Kathotia
Designation: Director
Date: 2024.07.31 16:54:35 IST
Reason: Approved